

मध्यप्रदेश शासन  
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 3-1/2007/56

भोपाल, दिनांक 20 मई 2011

प्रति,

- 1 कलेक्टर,  
सागर, गुना, इन्दौर, शिवपुरी, ग्वालियर,  
म0प्र0।
2. श्री एल.के.तिवारी,  
अपर मुख्य महाप्रबंधक,  
मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,  
भोपाल।
3. श्री प्रमोद भार्गव,  
मुख्य परिचालन अधिकारी,  
एमपी ऑन लाईन लिमिटेड,  
भोपाल।
3. श्री बी.डी.दरयानी,  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
वित्त विभाग, भोपाल।
- 4 श्रीमती अवंतिका वर्मा,  
सहायक प्रबंधक  
मैप-आई.टी.  
भोपाल।
- 5 समस्त सर्विस सेन्टर एजेन्सी,  
कॉमन सर्विस सेन्टर  
द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,  
भोपाल।

विषय:- ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के संबंध में।

उपरोक्त विषय अन्तर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं तथा शासकीय सेवाओं को प्रदाय करने के लिए किये जाने वाले कार्यों की दर के निर्धारण हेतु दरों के निर्धारण संबंधी सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 5.5.2011 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण आपकी और आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार



(श्रीदास)  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विषय- ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत सेवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए सचिव सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ।

-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में सेवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 05 मई 2011 को सचिव सूचना प्रौद्योगिकी की कक्ष क्रमांक 533 में अपरान्ह 1.00 बजे से आयोजित थी जिसमें निम्नानुसार उपस्थित थे -

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
2. श्रीमति सपना जैन डिप्टी कलेक्टर सागर
3. श्रीमति सूफिया फारूखी उप जिला दण्डाधिकारी महु
4. श्री आर. बाथम नोडल् अधिकारी ग्वालियर
5. श्री एल. के. तिवारी, अपर मुख्य महाप्रबंधक म. प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पो.
6. श्री बी. डी. दरयानी अवर सचिव वित्त विभाग
7. श्रीमति अवंतिका वर्मा, मैप. आई. टी.
8. श्री देवेन्द्र आजाद, सलाहकार
9. सी. एम. एस. कम्प्यूटर, एन.आई.सी.टी., एवं आई.सेक्ट सर्विस सेन्टर एजेन्सी की प्रतिनिधि

बैठक में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की गई तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये -

1. सभी एस.सी.ए. अपने अपने जिलों में तत्काल खसरे की नकल, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करना प्रारंभ करें।
2. सभी जिलों में उपरोक्त तीनों सेवाएं अतिशीघ्र प्रारंभ की जायें।
3. जिलों को आवंटित हार्ड वेयर आदि की भण्डार पंजी में प्रविष्ट कर छाया प्रति तत्काल उपलब्ध करायें।
4. जिले में सभी सी.एस.सी., एम. पी. ऑन लाईन कियोस्क एवं जनमित्र केन्द्र यदि कार्यरत हैं, को अधिकृत अभिकर्ता घोषित किया जाये।
5. सभी सी.एस.सी. को प्रि-पिन्टेड स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाये। प्रि-पिन्टेड स्टेशनरी की प्रत्येक पुस्तक का शुल्क रु 200/- से घटाकर रु 100/- प्रति पुस्तक किया गया।

6. संलग्न परिशिष्ठ अ में दी गई सेवाओं से संबंधित मूल्यों का अनुमोदन सेवामार चर्चा उपरान्त किया गया। मैप.आई.टी. को प्रदाय की जाने वाली राशि में से 5 प्रतिशत राशि पैमेन्ट गेटवे शुल्क के रूप में एम.पी. ऑन लाईन को देने का निर्णय लिया गया।

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line extending to the right.

ANNEXURE 1 : List of 39 Services under MP eDistrict Pilot Go Live

अ.क्र.	सेवा का नाम	दर			टीप
		सी.एस.सी. संचालक	जिला ई.गवर्नन्स सोसायटी	योग	
1	प्रमाण पत्र	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/-में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/-मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
1.1	मूल निवासी	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	
1.2	जाति	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदैव
1.3	आय	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदैव
1.4	जन्म एवं मृत्यु	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदैव
1.5	विकलांगता	10/- Rs.	0/- Rs.	0/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/-में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा।
शोधयता					
1.6	रु 3.00 लाख से कम	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 50/-में से रु 10/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/-मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
	रु 3.00 लाख से अधिक	100/- Rs.	100/- Rs.	200/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 100/-में से रु 20/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नन्स सोसायटी रु 100/- में से रु 20/-मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
2	सामाजिक सुरक्षा				
पेंशन					
2.1		10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/-में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/-मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
2.1.1	वृद्धावस्था	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	
2.1.2	विधवा	10/- Rs.	0/- Rs.	0/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/-में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा।
2.1.3	विकलांगता	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/-में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/-मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
2.2	जन्मश्री बीमा योजना	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदैव
2.2.2	राहत सहायता योजना	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदैव
2.2.3	शहरी विकास अभिकरण	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदैव
2.3	स्वतंत्रता सेनानी मानदेय	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदैव

- 2 -



